उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–02
संख्या– — /II–2–2020–17(21)/2019
देहरादूनः दिनांक 07 अगस्त, 2020
सितम्बर

## कार्यालय ज्ञाप

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य की दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं सौंग बांध परियोजना एवं जमरानी बांध परियोजना के निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन है। उक्त योजनायें राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनायें हैं, जिनके निर्माण से परियोजनाओं से संबंधित जनपदों और निकटवर्ती क्षेत्रों में पेयजल एवं विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी तथा बांध निर्माण से अतिरिक्त सिंचन क्षमता का भी सृजन होगा। सौंग बांध परियोजना एवं जमरानी बांध परियोजना के निर्माण कार्यों के त्वरित संपादन हेतु उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम (UPDCC) में एवं उसके अंतर्गत 02 कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई Program Implementation Unit (PIU) का गठन करते हुए सिंचाई विभाग से सेवा–स्थानान्तरण पर लिये जाने वाले संवर्गीय कार्मिकों के 112 पदों एवं बाह्य श्रोतो से लिये जाने वाले 27 पदों को दिनांक 28.02.2021 अथवा परियोजना समाप्ति तक जो भी पहले हो, वशर्ते उक्त पद इसके पूर्व समाप्त न कर दिये जांये, सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

तालिका–1

| क्र0 सं0 | पदनाम | वेतनमान | पात्रता | यू0पी0डी0सी0सी0मे स्वीकृत पद संख्या | सौंग बांध हेतु पी0आई0यू0–01 | जमरानी बांध पी0आई0यू0–02 | अन्य | कुल | अतिरिक्त आवश्यकता | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **(A) सिंचाई विभाग से सेवा स्थानांतरण पर लिये जाने वाले कार्मिक** | | | | | | | | | | |
| 1. | महाप्रबन्धक | सिंचाई विभाग से सेवा स्थानांतरण के आधार पर योजित कार्मिकों को विभागीय वेतनमान देय होगा। | सिंचाई विभाग में मुख्य अभियन्ता या अधीक्षण अभियन्ता के पद पर न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा। | 02 | 01 | 01 | 01 | 03 | 01 | पी0आई0यू0 के प्रमुख होंगे। |
| 2. | उप महाप्रबन्धक (निर्माण) | | सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियन्ता के पद पर न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा। | 01 | 02 | 03 | 02 | 07 | 06 | |

क्रमशः.....02

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | प्रबंधक | | सिंचाई विभाग मे अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यरत अथवा न्यूनतम 05 वर्ष की सहायक अभियन्ता के पद पर सेवा। | 05 | 03 | 05 | 03 | 11 | 06 | |
| 4 | सहायक प्रबन्धक | सिंचाई विभाग से सेवा स्थानातरण के आधार पर योजित कार्मिको को विभागीय वेतनमान देय होगा। | सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता के पद पर। | 15 | 17 | 21 | 08 | 46 | 31 | |
| 5. | क्षेत्रीय अभियन्ता | | सिंचाई विभाग मे कनिष्ठ अभियन्ता/ अपर सहायक अभियन्ता के पद पर कार्यरत। | 40 | 21 | 26 | 12 | 59 | 19 | |
| 6. | वरिष्ठ सहायक | | सिंचाई विभाग में न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा। | – | 02 | 04 | 02 | 08 | 08 | (नवीन पद) |
| 7. | कनिष्ठ सहायक | | सिंचाई विभाग में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा। | – | 04 | 08 | 02 | 14 | 14 | (नवीन पद) |
| 8. | उप राजस्व अधिकारी | | सिंचाई विभाग में उप–राजस्व अधिकारी के पद पर कार्यरत। | – | 01 | 01 | – | 02 | 02 | (नवीन पद) |
| 9. | जिलेदार | | सिंचाई विभाग में जिलेदार के पद पर कार्यरत। | – | 01 | 01 | – | 02 | 02 | (नवीन पद) |
| 10. | सींच पर्यवेक्षक | | सिंचाई विभाग में सींच पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत। | – | 02 | 02 | – | 04 | 04 | (नवीन पद) |

क्रमशः.....03

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | कार्य पर्यवेक्षक | | सिंचाई विभाग में कार्य–परिवेक्षक के पद पर कार्यरत। | – | 07 | 10 | 02 | 19 | 19 | (नवीन पद) |
| | | योग | | 63 | 61 | 82 | 32 | 175 | 112 | |

## तालिका–2

| क्र0 सं0 | पदनाम | वेतनमान | पात्रता/योग्यता/अनुभव | यू0पी0डी0सी0सी0 मे स्वीकृत पद संख्या | सौंग बांध हेतु पी0 आई0यू0 –01 | जमरानी बांध पी0आई0 यू0–02 | अन्य | कुल | अतिरिक्त आवश्यकता | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| (B) | वाह्य श्रोतों से लिये जाने वाले कार्मिक | | | | | | | | | |
| 1. | पर्यावरण विशेषज्ञ | 70,000/– प्रति माह | PG In Env. Sc. with more than 8 years of experience in Contract Management and at least 7 years of experience in EAP's | – | 01 | 01 | | 02 | 02 | सवानिवृत्त कार्मिक रख जाने की दशा में अतिम वेतन से पेशन की धनराशि को घटाकर आयी धनराशि मानदेय के रूप में प्रदान की जायेगी। |
| 2. | सामाजिक विशेषज्ञ | 70,000/– प्रति माह | PG in Social Sciences/MSW with more than 8 years of experience in relevant field and at least 3 years of experience in EAP's | – | 01 | 01 | | 02 | 02 | |
| 3. | आर्थिक विशेषज्ञ | 1,00,000/– प्रति माह | MBA(F)MA Economic के साथ आर्थिक विश्लेषण एवं प्रोजेक्ट मॉनीटिरिंग के क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव | – | 01 | 01 | | 02 | 02 | |
| 4. | तकनीकी विशेषज्ञ | 1,50,000/ –प्रति माह | Executive engineer/ Superintending Engineer level officer with more than 20 years of experience from any Civil Engineering Department having works in Supervision of engineering construction works specially Bridges/ Slope. | – | 01 | 01 | | 02 | 02 | |

क्रमशः.....04

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | or B.E/B.Tech (Civil) or M.E/M.Tech with Experience of more than 20 years in civil construction supervision | | | | | | | |
| 5 | एम0आई0एस विशेषज्ञ | 70,000/- प्रति माह | B.Tech (IT/Comp Sc )/MCA with more than 7 years of experience in database management/ web designing & MIS application etc. | – | 01 | 01 | | 02 | 02 | |
| 6 | डॉक्युमेंटेशन विशेषज्ञ | 40,000/- प्रति माह | Postgraduate / Masters in Management with 4 years of experience in documentation | – | 01 | 01 | | 02 | 02 | वाह्य श्राता से |
| 7 | लेखाधिकारी | 50,000/- प्रति माह | वणिज्य में स्नातकोत्तर / सी0ए0 जिसे एकाउन्टेसी के साथ टैली साफ्टवेयर मे प्रमाणित दक्षता सहित प्रतिष्ठित सस्थानो मे एकाउन्टसी का 06 वर्ष का अनुभव। | 01 | 01 | 01 | 01 | 03 | 02 | वाह्य श्राता से |
| 8 | लेखा सहायक | 35,000/- प्रति माह | वणिज्य मे स्नातकोत्तर के साथ एकाउन्टिग सॉफ्टवेयर मे 05 वर्ष का अनुभव। अग्रेजी एव हिन्दी टाईपिग अनिवार्य। | – | 01 | 01 | – | 02 | 02 | वाह्य श्राता से |
| 9 | डाटा एन्ट्री ऑपरेटर | 20,000/- प्रति माह | स्नातक के साथ कम्पयूटर ज्ञान एव ऑफिस सबधी कार्य एव द्विभाषीय टकरण का ज्ञान। | – | 05 | 05 | – | 10 | 10 | वाह्य श्राता से |
| 10 | आर0एण्ड आर0 (पुनर्वास) विशेषज्ञ | 1,50,000/प्रित माह अधिकतम | पुनर्वास कार्यो का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव एव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (RFCTLARR Act,2013)के प्रावधानो के अनुसार कार्य करने का विशेष अनुभव। | – | 01 | – | – | – | 01 | वाह्य श्राता से |
| | | योग | | 01 | 14 | 13 | 01 | 27 | 27 | |

(i) सौंग बांध परियोजना एवं जमरानी बांध परियोजना के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम (UPDCC) के अंतर्गत गठित होने वाले कुल

क्रमशः.....05

02 कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाइयां (PIU) व निगम में अन्य कार्य हेतु अन्य विभाग कर्मिक सिंचाई विभाग से सेवा स्थानांतरण के आधार पर लिये जायेंगे। सेवा स्थानान्तरण समकक्ष पदधारकों से ही किया जायेगा। सिंचाई विभाग में उक्त के सापेक्ष कोई अतिरिक्त पद सृजित नहीं किया जायेगा और कार्मिकों का कोई अतिरिक्त वेतन/भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।

(ii) उक्त दोनों परियोजनाओं की अवधि समाप्त होने के उपरान्त उक्तानुसार अतिरिक्त सृजित पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

(iii) दैनिक वेतन/संविदा एवं आउटसोर्स पर कार्मिकों की तैनाती के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 111/XXX(2)2018-30(12)2018 दिनांक 27.04.2018 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) वाह्य श्रोतों/संविदा के माध्यम से उपयुक्त मानव संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विकल्प का निर्णय लेकर की जायेगी।

(v) परियोजना अवधि समाप्त होने के उपरान्त उपर्युक्त सभी पद स्वतः समाप्त माने जायेंगे। इन पदों पर नियुक्त अभ्यर्थी अपने स्थायीकरण/समायोजन के सम्बन्ध में कोई दावा न करने की बचनबद्धता हेतु अनुबन्ध हस्ताक्षरित करेंगे।

(vi) परियोजना अवधि में इन पदों की निरन्तरता प्रत्येक वर्ष बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में अनिवार्यतः शासन की अनुमति/सहमति प्राप्त की जायेगी।

(vii) अस्थायी रूप से स्वीकृत उक्त पदों को बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी अनुबन्ध के अनुसार नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।

(viii) आउट सोर्सिंग/अनुबन्ध पर भरे जाने वाले पदों को छोड़कर उक्त अस्थायी रूप से सृजित पदों के पद धारकों को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अंतर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(ix) यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा.संख्या-961/XXVII(7)/2020 दिनांक 27 अगस्त, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

(नितेश कुमार झा)
सचिव।

संख्या- 1375 (1)/II-2-2020-17(21)/2019, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, कोलागढ, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कोलागढ़ रोड, देहरादून।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख निजी सचिव, मा0 सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, नियोजन/कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम, पी0-4/15 यमुना कालोनी, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

N/R0

आज्ञा से,
(जे0एल0शर्मा)
संयुक्त सचिव।